

Office of the Principal
Government Industrial Training Institute
Joginder Nagar, District Mandi (Himachal Pradesh)
(An ISO 29990: 2010 certified Institute)

(E-mail: itijogindernagar@rediffmail.com, contact no. 89910 82303, 01908 299078)

No. ITI-JNR/B(15)Misc (Canteen)/- 2956

Dated: 21-12-2023

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्दरनगर स्थित डोहग की कैटीन को चलाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जो कोई इच्छुक हो वह दिनांक 31.12.2023 शाम 04.00 बजे तक मोहर बन्द निविदा/कुटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करवा सकता है। निविदा/कुटेशन दिनांक 01.01.2024 को सुबह 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी।

कैटीन के लिए नियम व शर्तें:

1. प्रतिदिन कैटीन का सामान दर-निविदा के साथ संलग्न मेनू के अनुसार रखना होगा।
2. अगर रेट उचित प्रतीत नहीं होते हैं तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा नेगोसिएसन कमेटी गठित की जायेगी।
3. इस दर-संविदा की अवधि एक साल तक होगी जिसे बाद में आपके कार्य आदि को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा गठित कैटीन कमेटी की सिफारिश के आधार पर आगे एक वर्ष के लिए और अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अन्यथा निविदा दुबारा होगी।
4. यदि आपका अथवा आपके कर्मचारियों को व्यवहार संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अध्ययनरत छात्रों के प्रति असंतोषजनक पाया जाता है तो आपके उक्त अनुबन्ध कैटीन कमेटी की सिफारिश पर समाप्त भी किया जा सकता है।
5. संस्थान परिसर तथा कैटीन में धूम्रपान/मदिरापान, अन्य अवैध गतिविधियां तथा रेगिन्ना गतिविधियां पूर्णतया वर्जित होंगी यदि कोई छात्र ऐसा करता पाया जाता है तो आप तुरन्त प्रभारी कैटीन तथा अधोहस्ताक्षरी को तुरन्त सूचित करेंगे।
6. कैटीन मैनु जोकि संस्थान की कैटीन कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, उसे कैटीन के नोटिस बोर्ड में लगाना होगा तथा उसी के अनुसार छात्रों को सामान एवं खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने होंगे।
7. Successful bidder को जमानत राशि के रूप में मुव्लीग 2000/- रुपये जमा करवाने होंगे।
8. आपको कैन्टीन रेंट 2000/- रुपये प्रतिमाह की सात तारीख से पहले इस संस्थान के कैशियर के पास जमा करवाने होंगे। कमेटी की सिफारिश पर किराया बढ़ाया भी जा सकता है।
9. कैन्टीन खोलने का समय प्रातः 9:00 बजे से लेकर रात 6:00 बजे तक होगा व आवश्यकतानुसार देरी तक भी खोलनी पड़ेगी तथा संस्थान में कोई आवश्यक गतिविधियों के दौरान अवकाश वाले दिन भी कैन्टीन खोलनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त आप कैन्टीन में छात्रों व कर्मचारियों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को

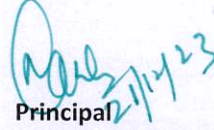
- नहीं बैठाएंगे तथा अपनी मर्जी से कैटीन किसी कार्यदिवस में बिना अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति से बन्द नहीं रहेगी।
10. अगर आप कैटीन के अनुबन्ध को दिए गए करारनामे से पहले छोड़ना चाहें तो आपको दो माह पूर्व अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करना होगा अन्यथा आपके द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि जब्त कर दी जाएगी।
 11. अद्योहस्ताक्षरी को आपके अनुबन्ध को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार रहेगा।
 12. कैटीन कमेटी कभी भी कैटीन में बने हुए सामान की गुणवत्ता की जांच कर सकती है। अगर खाने के सामान की गुणवत्ता कमेटी द्वारा सही नहीं पाई गई तो कैटीन के अनुबन्ध को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा।
 13. कैटीन मेनू के अलावा अन्य खाने के सामान को कैटीन कमेटी द्वारा पारित करवाना होगा।
 14. कैटीन में सिगरेट तम्बाकू बेचना वर्जित होगा।
 15. कैटीन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।
 16. संस्थान के कर्मचारियों को कार्य दिवस में दो बार प्रातः 11:30 बजे व 3:00 बजे संस्थान में आकर उनकी सहमति के अनुसार चाय देनी होगी।
 17. इसके अतिरिक्त यदि कोई भी नियम कैटीन कमेटी या संस्थान द्वारा बनाया जाता है या तबदील किया जाता है, उसे आपको मानना होगा।
 18. कैटीन और संस्थान में नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। आप किसी भी समस्या को लेकर बच्चों से नहीं उलझेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कैटीन प्रभारी से बात करें।
 19. यह कि आपके जो कर्मचारी कैटीन में कार्य करेंगे, उनका पंजीकरण करवाकर प्रतिलिपि इस कार्यालय में जमा करवाना होगा और वही कर्मचारी कैटीन में कार्य करेंगे। किसी कर्मचारी को कार्यस्थल में किसी प्रकार से गड़बड़ी करने की स्थिति में पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी।
 20. कैटीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ होने वाली दुर्घटना की जिम्मेवारी आपकी होगी। कैटीन में काम करने वाले कर्मचारी की आयु अठारह वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
 21. आप बिजली व पानी के बिल की अदायगी स्वयं करेंगे। बिल समय पर अदा न करने पर अथवा मीटर कटने की जिम्मेवारी आपकी होगी।
 22. कैटीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वेतन आप देंगे। संस्थान की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी।
 23. ठेकेदार किसी दूसरे व्यक्ति को आगे कैटीन का ठेका नहीं दे सकता और न ही Partnership/tenet/let/sub let कर सकते हैं। ऐसा करने पर अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा।
 24. ठेकेदार और उनके कर्मचारियों को कैटीन कमेटी द्वारा बनाये गए नियम का पालन करना होगा।
 25. कैटीन में सरकारी सम्पत्ति की देख रेख की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
 26. कैटीन के लिए ठेकेदार अपने स्तर पर वर्तन, गैस तथा अन्य वस्तुएं आवश्यकता अनुसार का arrangement स्वयं करेंगे।
 27. ठेकेदार को कैटीन में काम करने का अनुभव होना चाहिए।
 28. ठेकेदार को फूड एवं सेफ्टी प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा।
 29. Bidder कुटेशन भरने से पहले तथा कैटीन का निरीक्षण कर सकते हैं।
 30. प्रधानाचार्य को बिना कारण बताए, कुटेशन को accept or reject करने का अधिकार होगा।

31. सभी प्रकार के विवाद के लिए न्यायालय Jogindernagar रहेगा।

32. अगर आपके पक्ष में निविदा मिलती है तो आपका निविदा की शर्तें मंजूर होने पर Affidavit देना होगा।

निविदा के साथ आपको निम्नलिखित documents लगाने होंगे।

- 1- Photo copy of Aadhar Card and Pan card.
- 2- Photo copy of Experience certificate
- 3- Photo copy of Registration with labour department (if any)
- 4- Duly signed copy of canteen menu.



Principal

Govt. Industrial Training Institute,
Jogindernagar District Mandi (H.P.)

Dated: 21-12-23

Endst No. As above 2756

1. Copy to Sh. Love Kumar, Instructor COPA to upload this notice in the Institution's website.
2. Copy to Notice Board of the Institute for wide publicity.



Principal

Govt. Industrial Training Institute,
Jogindernagar District Mandi (H.P.)

Menu

Sr. No.	Name of Items	Qty	Rate
1	Tea	Per Cup	
2	Lunch (Rice, Dal, Curry, Roti)	Half Plate	
3	Lunch (Rice, Dal, Curry, Mixveg, Roti)	Full Plate	
4	Samosa	Per Pc	
5	Bread Pakora (Full Pc)	Per Pc	
6	Prantha (stuffed), Potato/ Onion/MixVeg Paneer Prantha	Per Pc	
7	Coffee	Per Cup	
8	Milk	Per Cup 150gm	
9	Chowmin	Full Plate	
10	Chowmin	Half Plate	
11	Momos (8Pcs)	Full Plate	
12	Momos (4Pcs)	Half Plate	
13	Fried Momos	Full Plate	
14	Fried Momos	Half Plate	
15	Spring Roll	One Pc	
16	Pattie (stuffed Aloo)	One Pc	
17	Cold Drink, Biscuit, Lays, Kurkure, Namkeen	Per Pc	
18	Veg. Plate (Dal, Vegitable, Rice(Parmal), chapatti, Salad, Raita	Full Plate (Semi Deluxe Thali)	
19	Veg. Plate (Dal, Mix Vegitable, Basmati Rice, Chapati, Salad, Raita, Mutter Paneer, Sweet Dish	Full Plate (Deluxe Thali)	
20	Stuffed Kachori	Per Pc	
21	Siddu Dal Akhrot	Per Pc	
22	Maggi (Per Pkt)	Per Plate	
23	Mix Pakora	Per Kg	
24	Paneer Pakora	Per Kg	
25	Mandiyali Dham	Per Person	
26	Bread Piece (Simple)	Per Pc	
27	Burger	Per Pc	
28	Veg. Sandwitch	Per Pc	